

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

कनिका कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 1995 (भाद 1, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा आना

श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

- (1) क्रमांक बी-1-12-95- बाईस.पी.-2 दिनांक 28.3.95
- (2) क्रमांक बी-1-14-95- बाईस.पी.-2 दिनांक 28.3.95
- (3) क्रमांक बी-1-15-95- बाईस.पी.-2 दिनांक 28.3.95
- (4) क्रमांक बी-1-16-95- बाईस.पी.-2 दिनांक 28.3.95
- (5) क्रमांक बी-1-17-95- बाईस.पी.-2 दिनांक 28.3.95 ; तथा शुद्ध पत्र क्रमांक बी-1-17-95-बाईस. पं.-2 दिनांक 26.5.95 सहित
- (6) क्रमांक बी-1-18-95- बाईस.पी.-2 दिनांक 28.3.95
- (7) क्रमांक बी-1-19-95- बाईस.पी.-2 दिनांक 28.3.95
- (8) क्रमांक बी-1-20-95- बाईस.पी.-2 दिनांक 28.3.95
- (9) क्रमांक बी-1-21-(1)-95- बाईस.पं.-2 दिनांक 2.6.95
- (10) क्रमांक बी-1-21-(2)-95- बाईस.पं.-2 दिनांक 2.6.95
- (11) क्रमांक बी-1-21-(3)-95- बाईस.पं.-2 दिनांक 2.6.95
- (12) क्रमांक बी-1-24-95- बाईस.पं.-2 दिनांक 3.7.95,

पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) सर्वश्री बृजेन्द्र पाठक, गोपीकृष्ण नेमा, रामलखन शर्मा, सदस्य, सतना नगर निगम द्वारा अनियमित तरीके से अपने आधिपत्य की भूमि, समर्पित किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, रायगढ़ के जिन्दल स्ट्रॉप्स कारखाने के दो श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति तथा स्वीकृति

श्री शंकर प्रताप सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव करेंगे कि -

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है। "

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बम्होरी, गुडा, विलायत-कला आदि में नल-कूप सिंचाई योजना स्वीकृत किये जाने ;

(2) श्री रामलखन सिंह (त्योधर), सदस्य, रीवा जिले के -

- (क) ग्राम भुनगांव को मुख्य सड़क से जोड़े जाने ;
- (ख) ग्राम हनुमानगंज में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;
- (ग) ग्राम नीवा के पास महसानदी पर रपटा बनाये जाने ;
- (घ) ग्राम पटेहरा से सितलहा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने ; तथा
- (ड.) मगरदहा नाले पर रपटा बनाये जाने ;

(3) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल नगर के ई-6, अरेरा कॉलोनी स्थित गृह निर्माण मण्डल के शेड हटाये जाने,

(4) श्री गोपाल परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के -

- (क) टोकड़ा जलाशय का कार्य प्रारंभ कराये जाने ;
- (ख) बडोद नगर में रजिस्ट्रार कार्यालय खोले जाने ; तथा
- (ग) काली सिंध नदी पर पुल बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश की नी कल्पड़ा मिलों एवं पच्छीस से अधिक छोटे-मध्यम उद्योगों के बंद हो जाने से लाखों लोगों के सामने भुखमरी की समस्या के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

निर्धारित

समय

2 घन्टे

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे

(1) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पर चर्चा.

(2) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1991-92 (अनुभाग-1) पर चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 22 अगस्त, 1995

शीला खाना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा